रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-274998
CG-DL-E-31072026-274998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 624]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 686(अ).— केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ढ़), धारा 28 की उप-धारा (3) और धारा 34 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;

(घ) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "जांच" से अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है; और

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम मे परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. शिकायत.— केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी उल्लंघन या विफलता की तारीख से न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्ररूप 1 में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन सहित और परिदान के प्रमाण के साथ या व्यक्तिगत रूप से, तीन वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज कर सकता है।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों क लिए, नियम 4 के उपनियम (11) के खंड (ख) और नियम 11 में, "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के उपनियम (1) के खंड (द) में दिया गया है।

4. जांच करना.—(1) नियम (3) के अधीन किसी उल्लंघन या विफलता की कोई शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी, उस व्यक्ति को प्ररूप 2 में नोटिस जारी कर, नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर (जो नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी) कारण बताने को कहा जाएगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में उसके द्वारा कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्तर मिलने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच होनी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है और ऐसे किसी आवश्यक अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, नोटिस में तय की गई तारीख को उपस्थित होने की आवश्यकता है, प्ररूप 3 में नोटिस जारी करेगा:

परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाएगी।

(4) सुनवाई के लिए नियत तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, उसके द्वारा किए गए उल्लंघन या विफलता तथा अधिनियम के उस उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन किया जाना अभिकथित है।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति तथा अन्य आवश्यक व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई किसी आगे की तारीख तक स्थगित की जा सकेगी (प्रथम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर और अधिकतम तीन तारीखों तक) और ऐसा साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति और संबंधित व्यक्ति अपेक्षित रूप से न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो वह अभिलिखित कारणों सहित ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।

(7) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन या विफलता की है, तो वह नियम 6 में विनिर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा, वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करेगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा संक्रिया संबंधी अधिकार के निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है या असफल हुए हैं और उसमे शास्ति अधिरोपित करने के कारणों को सम्मिलित किया जाएगा।

(9) इस नियम के अधीन किये गये आदेश की एक प्रति तथा कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता तथा व्यक्ति को निःशुल्क दी जायेंगी, जिसके विरूद्ध जांच की गयी थी।

(10) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, को नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

(11) इन नियमों के अधीन जारी नोटिस या आदेश निम्न में से किसी एक रीति से उस व्यक्ति को तामील की जाएगी, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, अर्थात:—

(क) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को देना या निविदित्त करना; या

(ख) इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में या पंजीकरण सहित स्पीड पोस्ट और परिदान के प्रमाण के साथ या उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर भेजकर या उस स्थान पर जहां वह व्यवसाय करता था या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता था या लाभ के लिए अंतिम कार्य किया था को भेजकर; या

(ग) यदि इसे खंड (क) या (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से नोटिस तामील नहीं की जा सकती है तो उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर उसे चिपकाया जाएगा जहां वह व्यक्ति रहता है या अंतिम बार निवास करता था या व्यवसाय करता था या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता था या लाभ हेतु कार्य किया था।

5. शास्ति की रकम निर्धारित करते समय ध्यान में रखने वाले कारक.— न्यायनिर्णायक अधिकारी, शास्ति की मात्रा का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी कारकों को सम्यक रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) संक्रिया संबंधी अधिकार के नियमों या निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रदत्त मानक से विचलन या उल्लंघन की मात्रा;

(ख) उल्लंघन से प्राप्त अनुचित अभिलाभ या लाभ और इसकी रकम, जहां भी मापा जा सके;

(ग) उल्लंघन की पुनरावर्ती प्रकृति या आवृत्ति;

(घ) उल्लंघन की अवधि;

(ड.) जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उसका पिछला अनुपालन रिकॉर्ड;

(च) क्या उल्लंघन प्रक्रियात्मक, तकनीकी या मूलभूत है;

(छ) क्या उल्लंघन को तुरंत ठीक कर दिया गया था;

(ज) क्या उल्लंघन से कोई पर्यावरणीय क्षति, सुरक्षा जोखिम, सार्वजनिक हानि या सरकार को वित्तीय हानि हो सकती है;

(झ) सरकारी पोर्टलों के डाउनटाइम या तकनीकी विफलता के कारण देरी की क्षमा; या

(ञ) कोई अन्य सुसंगत कारण।

6. संक्षिप्त निपटान.- (1) नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, अधिनियम की धारा 28 के अधीन किसी उल्लंघन या विफलता के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी जांच प्रारंभ या जारी नहीं रखी जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम का भुगतान करता है और संक्रिया संबंधी अधिकार के नियमों या निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन को, या तो नियम 4 के अधीन प्रारंभ से पहले या जांच के किसी भी चरण के दौरान सुधार लेता है:

परंतु यदि व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि के भीतर तीन बार से अधिक संक्रिया संबंधी अधिकार के उसी नियम या निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, -

(क) संक्रिया संबंधी अधिकार के नियमों या निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, जिनमें रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करने की समयावधि विनिर्दिष्ट करते हैं, ऐसे उल्लंघन की निरंतरता तक अनुसूची में प्रत्येक दिन के लिए विनिर्दिष्ट रकम के योग के बराबर।

(ख) अन्य उल्लंघन के मामलो में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा में विनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, जिस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, वह विनिर्दिष्ट शपथ-पत्र के प्ररूप में न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करेगा:—

(क) उल्लंघन का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, उल्लंघन के संबंध में प्राप्त नोटिस सहित, यदि कोई हो,

(ख) नियम के उल्लंघन के पश्चातवर्ती किए गए सुधार की जानकारी और उसके समर्थन में दस्तावेज़ की एक प्रति; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन रकम जमा करने का वचन-पत्र।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, आवेदक को उपनियम (1) के अधीन रकम जमा करने के लिए सूचित करेगा।

(4) आवेदक उप-नियम (3) के अधीन सूचना के पंद्रह दिनों के भीतर रकम जमा कराएगा और रकम जमा होने के सत्यापन पर न्यायनिर्णायक अधिकारी सात दिनों के भीतर समापन आदेश जारी करेगा और उक्त उल्लंघन के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच आरंभ नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

7. शिकायत का अंतरण .— (1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह विचार है या ऐसा प्रतीत होता है कि इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करना उसके अधिकार में नहीं है, तो वह ऐसे कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और शिकायतकर्ता को सूचना देकर, ऐसी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर मामले को संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को अंतरित कर देगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी जिसे ऐसा मामला अंतरित किया गया है, जांच उसी चरण से आगे बढ़ाएगा जिस चरण पर मामला उसे अंतरित किया गया है।

8. अपील.- (1) कोई व्यक्ति जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो वह प्ररूप 4 में उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, जिसके विरूद्ध अपील फाइल की गई है, अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकता है।

(2) जब तक अपीलार्थी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत अपील प्राधिकारी के पास जमा नहीं कर देता हो तब तक अपील ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(3) अपील के साथ न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न होगी तथा उन तथ्यों का विवरण प्रदान किया जाएगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील का आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा का उल्लेख होगा।

(4) अपीलार्थी द्वारा स्वयं या लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके प्रतिनिधि द्वारा स्पीड पोस्ट पंजीकृत और परिदान के प्रमाण के साथ या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल की जा सकेगी।

(5) भेजी गई अपील, अपील प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले दिन को फाइल मानी जाएगी।

(6) यदि जांच करने पर अपील आदेश में सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपील प्राधिकारी त्रुटि के बारे में अपीलार्थी को सूचित करेगा और उसे पंद्रह दिन के भीतर त्रुटि को ठीक करने की अनुज्ञा देगा और यदि अपीलार्थी इस समयावधि के भीतर ऐसे त्रुटि को दूर करने में विफल रहता है, तो अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित में अभिलिखित कारणों से ऐसी अपील को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है और अपीलार्थी को सात दिन की अवधि के भीतर ऐसी अस्वीकृति से सूचित करा सकता है।

(7) अपील स्वीकार होने पर, अपील प्राधिकारी प्रतिवादी को अपील की एक प्रति नोटिस के साथ भेजेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपील प्राधिकारी द्वारा नियत अवधि के भीतर, अपील पर अपना उत्तर तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर दाखिल करे।

(8) नोटिस व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट पंजीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है।

(9) अपील प्राधिकारी न्यायनिर्णायक अधिकारी की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(10) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

(11) अपील प्राधिकारी अपील की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(12) शास्ति में कमी करने अथवा उसे अपास्त करने की दशा में उप-नियम (2) के अधीन जमा की गई अतिरिक्त रकम अपील प्राधिकारी के आदेश के साठ दिन के भीतर वापस कर दी जाएगी।

9. समयावधि बढ़ाना.— न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी, अभिलिखित किए गए कारणों सहित, जहां कार्रवाई करने में विलंब या विफलता के लिए पर्याप्त कारण है या सरकारी पोर्टलों के डाउनटाइम या तकनीकी विफलता का

सबूत है, शिकायत, अपील या अन्य संबंधित दस्तावेज फाइल करने के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अवधि को अधिकतम नब्बे दिन के अध्यधीन ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है, जिसे वह युक्तियुक्त समझे।

10. आदेश और शास्तियों को जमा करना.— (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षरित होगा तथा सभी पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन शास्ति के रूप में वसूल की गई सभी राशि, भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

11. ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सुविधा.– केन्द्रीय सरकार इन नियमों के प्रयोजनों और अनुपालन को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप से पूरा करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात:—

(क) नोटिस और अन्य संचार जारी करना;

(ख) शिकायत, आवेदन, उत्तर, अपील और ऐसे अन्य दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण या फाइल करना;

(ग) न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील प्राधिकारी द्वारा वर्चुअल सुनवाई का संचालन;

(घ) न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील प्राधिकारी के समक्ष मामलों की स्थिति का प्रदर्शित करना;

(ड.) न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील प्राधिकारी के आदेश अपलोड करना; और

(च) शास्ति और अन्य रकम का भुगतान करना।

अनुसूची

(नियम 4(7) देखें)

सिविल शास्ति की रकम

भाग-क. उत्पादन पट्टा के संबंध में सिविल शास्ति की रकम

क्र.सं.	उत्पादन पट्टे का क्षेत्र	उल्लंघन की प्रकृति	सिविल शास्ति की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	25 मानक खंड तक	(i) अधिनियम, नियम या संक्रिया संबंधी अधिकार की निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, जो रिपोर्ट, ब्यौरा, जानकारी या दस्तावेज़ जमा करने की समयावधि विनिर्दिष्ट करते हैं। (ii) अन्य उल्लंघनों के लिए।	(i) अधिकतम तीस लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन उल्लंघन के प्रत्येक सप्ताह के लिए दस लाख रुपये। (ii) दस लाख रुपये से कम नहीं जो पचास लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।
2	25 मानक खंड से अधिक	(i) अधिनियम, नियम या संक्रिया संबंधी अधिकार की निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, जो रिपोर्ट, ब्यौरा, जानकारी या दस्तावेज़ जमा करने की समयावधि विनिर्दिष्ट करते हैं। (ii) अन्य उल्लंघनों के लिए।	(i) अधिकतम पचास लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन उल्लंघन के प्रत्येक सप्ताह के लिए दस लाख रुपये। (ii) बीस लाख रुपये से कम नहीं जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

भाग-ख. उत्पादन पट्टे से भिन्न संक्रिया संबंधी अधिकार के संबंध में सिविल शास्ति की रकम

क्र.सं.	संक्रिया संबंधी अधिकार का क्षेत्र	उल्लंघन की प्रकृति	सिविल शास्ति की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	25 मानक खंड तक	(i) अधिनियम, नियम या संक्रिया संबंधी अधिकार की निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, जो रिपोर्ट, ब्यौरा,जानकारी या दस्तावेज़ जमा करने की समयावधि विनिर्दिष्ट करते हैं। (ii) अन्य उल्लंघनों के लिए।	(i) अधिकतम तीस लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन उल्लंघन के प्रत्येक सप्ताह के लिए दस लाख रुपये। (ii) दस लाख रुपये से कम नहीं जो पचास लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।
2	25 मानक खंड से अधिक	(i) अधिनियम, नियम या संक्रिया संबंधी अधिकार की निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन, जो रिपोर्ट, ब्यौरा, जानकारी या दस्तावेज़ जमा करने की समयावधि विनिर्दिष्ट करते हैं। (ii) अन्य उल्लंघनों के लिए।	(i) अधिकतम पचास लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन उल्लंघन के प्रत्येक सप्ताह के लिए दस लाख रुपये। (ii) बीस लाख रुपये से कम नहीं जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

भाग-ग. संक्रिया संबंधी अधिकार न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन के संबंध में सिविल शास्ति की रकम

क्र.सं.	उल्लंघन की प्रकृति	सिविल शास्ति की रकम
(1)	(2)	(3)
1	(i) रिपोर्ट या जानकारी प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित करने वाले नियमों के उल्लंघन के लिए (ii) अन्य उल्लंघनों के लिए	(i) अधिकतम पचास लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन उल्लंघन के प्रत्येक सप्ताह के लिए दस लाख रुपये। (ii) बीस लाख रुपये से कम नहीं जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

प्ररूप 1

(नियम 3 देखें)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक अधिकारी

…………………………..

1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियाँ:-

(क) नाम:

(ख) पता (सेवा के लिए):

(ग) संपर्क नं.

(घ) ईमेल (तामील के लिए):

2. शिकायत का विवरण:-

(क) कथित उल्लंघन की तारीख, समय तथा मामला:

(ख) उल्लंघन का विवरण जिसमें सभी संबंधित भौतिक विशिष्टियाँ दिए गए हों:

(ग) कथन के समर्थन में साक्ष्य:

(घ) नुकसान की अनुमानित रकम (धनीय रूप से) लागत विवरण के साथ।

मैं/हम ………… शिकायतकर्ता …………..घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यहाँ बताए गए तथ्य मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सही हैं।

3. शिकायत करने वाले का नाम और हस्ताक्षर:

टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 2

[नियम 4(1) देखें]

सेवा में

…………………

…………………

…………………

कारण बताओ नोटिस

विषय: अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के अधीन उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

तारीख…….. की सूचना (प्रति संलग्न) के अनुसार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा ……………… के अधीन……………….. पर उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन शास्ति के लिए दायी है। अतः आपको इस नोटिस की तामील के _________ दिन की अवधि के भीतर कारण बताना अपेक्षित है कि क्यों न आपके विरूद्ध अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अधीन शास्ति अधिरोपण के लिए जांच आरंभ की जाए। यदि निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उक्त अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

तारीख और स्थान …………………।

प्रपत्र 3

[नियम 4(3) देखें]

सेवा में,

…………………

…………………

…………………

पेश होने के लिए नोटिस

विषय: अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अधीन उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

कारण बताओ नोटिस संख्या …. तारीख…. निर्दिष्ट की जा सकती है।

2. प्रारंभिक जांच के पश्चात, मेरी राय है कि उक्त कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के लिए आपके विरूद्ध जांच की जानी चाहिए। अतः अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है ताकि व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अधीन आपके विरूद्ध आरंभ की गई जांच में आपको शामिल किया जा सके।

3. नियत तारीख पर उपस्थित न होने की स्थिति में असफलता की दशा मे, आपकी अनुपस्थिति में जांच की जाएगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

तारीख और स्थान …………………

प्ररूप 4

अपील

[नियम 9(3) देखें]

सेवा में,

अपील प्राधिकरण,

………………………………..

……………………………………….

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ:

(i) नाम :

(ii) पत्राचार का पता:

(iii) संपर्क नंबर:

(iv) ईमेल:

2. अपील के आधार:

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की तारीख:

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम………, अपीलकर्ता, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर कथित तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।।

5. अपीलार्थी के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलार्थी का नाम:

[फा. सं. एम.VI-16/51/2026-खान VI (भाग-4)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 686(E).— In exercise of the powers conferred by clause (*m*) of sub-section (*2*) of section 35 read with sub-section *(3)* of section 28 and sub-section *(2)* of section 34 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (*1*) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026.

(*2*) These rules shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. Definitions. — (*1*) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(*a*) "Act" means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);

(*b*) "adjudicating officer" means an officer appointed under sub-section (*3*) of section 28 of the Act;

(*c*) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (*1*) of section 34 of the Act;

(*d*) "appellate authority" means an officer appointed under sub-section (1) of section 34 of the Act;

(*e*) "form" means a form appended to these rules;

(*f*) "inquiry" means the inquiry referred in sub-section (*3*) of section 28 of the Act; and

(*g*) "Schedule" means the schedule annexed to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Complaint. — A gazetted officer authorised by the Central Government may file a complaint in Form 1, through electronic form or speed post with registration and proof of delivery or by hand, to the adjudicating officer regarding any contravention or failure under sub-section (*1*) of section 28 of the Act within a period of three years from date of such contravention or failure.

Explanation. - For the purposes of this rule, clause *(b)* of sub-rule *(11)* of rule 4 and rule 11 "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-rule (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

4. Holding of inquiry. — (*1*) On receipt of any complaint under rule 3, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form 2 to the person alleged to have been committed the contravention or failure, requiring him to show cause, within such period as may be specified in the notice (being not less than fifteen days from the date of service thereof), as to why an inquiry should not be held against him.

(*2*) Every notice under sub-rule (*1*) shall indicate the nature of contravention or failure alleged to have been committed by him.

(*3*) On receipt of the reply submitted by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice in Form 3 requiring the appearance of the person proceeded against and such other persons as may be necessary personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice:

Provided that the appearance shall be allowed through video conference.

(*4*) On the date fixed for hearing, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention or failure alleged to have committed by him and the provision of the Act.

(*5*) The adjudicating officer shall give an opportunity to such person and other necessary persons to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and while taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(*6*) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, if any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer, he may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(*7*) If the adjudicating officer, upon consideration of the evidence produced before him, is satisfied that the person has committed the contravention or the failure, he shall, having regard to the factors specified in rule 6, by order in writing, impose civil penalty as specified in the Schedule.

(*8*) Every order made under sub-rule (*7*) shall specify the provisions of the Act, rules made thereunder or the terms and conditions of operating rights, in respect of which contravention or failure has been committed and shall specify the reasons for imposing the penalty.

(*9*) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.

(*10*) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.

(*11*) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely: —

(*a*) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(*b*) by sending it to the person through electronic form or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(*c*) if it cannot be served in the manner specified under clauses (*a*) or (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

5. Factors to be considered while determining quantum of penalty. — The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty, shall have due regard to all or any of the following factors, namely: —

(*a*) quantum of deviation or contravention from the standard provided under the rules or terms and conditions of the operating right;

(*b*) undue gain or benefit derived out of contravention and its amount, wherever quantifiable;

(*c*) repetitive nature or frequency of the contravention;

(*d*) duration of contravention;

(*e*) past compliance record of the person proceeded against;

(*f*) whether the contravention is procedural, technical or substantive;

(*g*) whether the contravention was promptly rectified;

(*h*) whether the contravention could lead to any environmental damage, safety risk, public loss or financial loss to the Government;

(*i*) condonation of delay due to downtime or technical failure of Government portals; or

(*j*) any other relevant factor.

6. Summary disposal. — (*1*) Notwithstanding anything contained in rule 4, no inquiry shall be initiated or continued against a person in respect of a contravention or failure under section 28 of the Act, if such person makes payment of the minimum amount specified in the Schedule and rectify the contravention of the rules or terms and conditions of the operating right, either before initiation or during any stage of inquiry under rule 4:

Provided that the provisions of this rule shall not be applicable if a person commits contravention of the same rule or terms and conditions of the operating right for more than three times within a period of five years.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule, "minimum amount specified in the Schedule" shall mean, —

(a) in case of contravention of rules or terms and conditions of operating right which specify time period of submission of report or information, aggregate of the amount specified in the Schedule for each week till continuation of such contravention;

(b) in case of other contravention, the minimum amount specified in the range of amount specified in the Schedule.

(*2*) For the purpose of sub-rule (*1*), the person who has made a contravention shall file an application to the adjudicating officer in the form of an affidavit specifying the —

(*a*) details of contravention for which the application is being filed along with notice received regarding the contravention, if any;

(*b*) details of subsequent rectification of the contravention along with a copy of document in support of the same; and

(*c*) undertaking to deposit the amount under sub-rule (*1*).

(*3*) The adjudicating authority shall within fifteen days of the receipt of the application under sub-rule (*2*), intimate the applicant to deposit the amount under sub-rule (*1*).

(*4*) The applicant shall deposit the amount within fifteen days of the intimation under sub-rule (3) and on verification of deposit of amount, the adjudicating officer shall issue a closure order within seven days and no inquiry shall be initiated or continued against a person in respect of said contravention.

7. Transfer of complaint. — (*1*) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have authority to entertain the complaint, he shall transfer it to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint made to him, after reasons to be recorded in writing, under intimation to the complainant.

(*2*) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.

8. Appeal. — (*1*) Any person aggrieved by an order passed by the adjudicating officer, may file an appeal to the appellate authority in Form 4 within 30 days from the date of receipt of the order against which the appeal is filed.

(2) No appeal shall be entertained unless the appellant has deposited with the appellate authority ten per cent. of the amount of penalty imposed by the adjudicating officer.

(*3*) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer and a statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(*4*) The appeal may be filed by the appellant in person or by his representative duly authorised in writing, or speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

(*5*) The appeal sent shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(*6*) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days thereof.

(7) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal to respondent along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.

(*8*) The notice may be served by hand or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

(9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.

(*10*) The appellate authority shall, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass a reasoned order.

(*11*) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of appeal.

(*12*) In case of reduction or setting aside of the penalty, any excess amount deposited under sub-rule (2) shall be refunded within sixty days of the order of appellate authority.

9. Extension of time. —The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act or evidence of downtime or technical failure of Government portals, extend any period specified in these rules for filing of complaint, appeal or other related documents till such period as he considers reasonable, subject to maximum ninety days.

10. Order and deposit of penalties. — (*1*) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(*2*) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

11. Online electronic facility. — The Central Government shall carry out the purposes of, and enforce compliance with, these rules through electronic form, including the following, namely: —

(*a*) issuance of notice and other communications;

(*b*) submission or filing of complaint, application, reply, appeal and such other document;

(*c*) conduct of virtual hearing by adjudicating officer and appellate authority;

(*d*) display of status of the cases before the adjudicating officer and appellate authority;

(*e*) uploading of orders of adjudicating officer and appellate authority; and

(*f*) payment of penalty and other amounts.

Schedule

(*See* rule 4 (7))

Amount of civil penalty

Part-A. Amount of civil penalty in respect of production lease

S. No.	Area of production lease	Nature of contravention	Amount of civil penalty
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Upto 25 standard blocks.	(*i*) For contraventions of Act, rules or terms and conditions of the operating right which specify time period of submission of report, data, information or document. (*ii*) For other contraventions.	(i) ten lakh rupees for each week of contravention, subject to maximum of thirty lakh rupees. (*ii*) not less than ten lakh rupees which may extend to fifty lakh rupees.
2.	more than 25 standard blocks.	(*i*) For contraventions of rules or terms and conditions of the operating right which specify time period of submission of report, data, information or document (*ii*) For other contraventions	(*i*) ten lakh rupees for each week of contravention, subject to maximum of fifty lakh rupees. (*ii*) not less than twenty lakh rupees which may extend to one crore rupees.

Part-B. Amount of civil penalty in respect of operating right other than production lease

S. No.	Area of operating right	Nature of contravention	Amount of civil penalty
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Upto 25 standard blocks.	(*i*) For contraventions of rules or terms and conditions of the operating right which specify time period of submission of report, data, information or document. (*ii*) For other contraventions.	(*i*) ten lakh rupees for each week of contravention, subject to maximum of thirty lakh rupees. (*ii*) not less than ten lakh rupees which may extend to fifty lakh rupees.
2.	more than 25 standard blocks.	(*i*) For contraventions of rules or terms and conditions of the operating right which specify time period of submission of report, data, information or document. (*ii*) For other contraventions.	(*i*) ten lakh rupees for each week of contravention, subject to maximum of fifty lakh rupees. (*ii*) not less than twenty lakh rupees which may extend to one crore rupees.

Part-C. Amount of civil penalty in respect contravention of rules by the persons not holding an operating right

Sl. No.	Nature of contravention	Amount of civil penalty
(1)	(2)	(3)
1.	(*i*) For contraventions of rules which specify time period of submission of report or information (*ii*) For other contraventions	(*i*) ten lakh rupees for each week of contravention, subject to maximum of fifty lakh rupees. (*ii*) not less than twenty lakh rupees which may extend to one crore rupees.

Form 1

(*See* rule 3)

To,

The Adjudicating Officer

…………………………..

1. Particular of complainant: -

(a) Name:

(b) Address for service:

(c) Contact No.

(d) Email (for service):

2. Particulars of complaint: -

(a) Date, time and instance of commission of alleged contravention:

(b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:

(c) Evidence in support of the statement:

(d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.

I/We………… the complainant …………..herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge.

3. Name and signature of the complainant:

Note- Strike out whichever is not applicable.

Form 2

[*See* rule 4 *(1)*]

To

………………………

………………………

………………………

Show cause notice

Subject: – Contravention of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

Sir/Madam,

As per intimation …….. dated (copy enclosed), a contravention has been committed under ………………section of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 at ……………………..

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ……………. days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 28 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act.

Adjudicating officer

Date and place ………………….

Form 3

[*See* rule 4 *(3)*]

To

………………………

………………………

………………………

Notice for appearance

Subject:– Contravention under section 28 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

Sir/Madam,

Show cause notice number …. dated …. may be referred to.

2. After preliminary examination, I am of the opinion that enquiry should be held against you for the contravention specified in the said show cause notice. Therefore, you are required to appear before the undersigned personally or through representative on dated……, for inquiry initiated against you under section 28 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

3. In case of failure to appear on the given date, inquiry will be conducted in your absence.

Adjudicating officer

Date and place ………………….

Form 4

Appeal

[*See* rule 8 *(1)*]

To

Appellate Authority,

……………………………………..

……………………………………….

1. Particulars of appellant:

    (i) Name:

    (ii) Address for correspondence:

    (iii) Contact Number:

    (iv) Email:

2. Grounds of appeal:

    (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

    I/We………, the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant:

[F. No. M.VI-16/51/2026-Mines VI (Part-4)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-274997
CG-DL-E-31072026-274997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 625] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 687(अ).— केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 48 में,-

(i) उप-नियम (4) में, खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) अपतट क्षेत्र खनिज (जन विश्वास) नियम, 2026 के अनुसार नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति के न्यायनिर्णयन की शुरुआत करने के लिए कार्रवाई करें;";

(ii) उप-नियम (5) में,

(क) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, "दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम" शब्दों के स्थान पर, "अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) में, "दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम" शब्दों के स्थान पर, "अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 60 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**60. शास्ति**.- जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 28 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अर्थात; अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026) के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

4. उक्त नियमों में, "अनुसूची-2" और "अनुसूची-3" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम.VI.-16/51/2026-खान VI (भाग-5)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2024 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 687(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024, namely: —

1. **Short title and commencement: —** *(1)* These rules may be called the Offshore Areas Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. In the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, —

(a) in sub-rule *(4),* for clause *(ii),* following clause shall be substituted, namely: –

"*(ii)* take action to initiate adjudication of penalty for contravention in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026;";

(b) in sub-rule *(5),* –

(i) in clause *(ii),* in sub-clause *(a),* for the words "such amount as specified in the Second Schedule", the words "penalty in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026 "shall be substituted;

(ii) in clause *(iii),* for the words "such amount as specified in the Second Schedule", the words "penalty in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026 "shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted, namely: –

"**60. Penalty. –** Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty in accordance with the provisions of section 28 of the Act and the rules made thereunder (*i.e.,* the Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026).".

4. In the said rules, "THE SECOND SCHEDULE" and "THE THIRD SCHEDULE" shall be omitted.

[F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI (Part 5)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note: – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i),* *vide* notification number G.S.R. 791 (E) dated the 31st December, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-274996
CG-DL-E-31072026-274996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 627]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 689(अ).— केंद्रीय सरकार अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 उप धारा-1 और उप धारा -2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 में, नियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा जाएगा, अर्थात्:—

"**38.शास्ति.—** जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 28 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अर्थात; अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026) के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. एम.VI-16/51/2026-खान VI (भाग-7)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ), तारीख 14 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 689(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section *(1)* and clause *(c)* of sub-section *(2)* of section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, namely: —

1. **Short title and commencement: —** *(1)* These rules may be called the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. In the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, for rule 38, the following rule shall be substituted, namely: —

"**38. Penalty. –** Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty in accordance with the provisions of section 28 and the rules made thereunder (*i.e.,* the Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026)."

[F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI (Part 7)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note:– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i)*, *vide* notification number G.S.R. 468 (E) dated the 14th July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA